आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या 19/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

एडलवाईज असेट रिकन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, ई–3, द्वितीय तल, दिल्ली प्रेस, रानी झांसी रोड, झण्डेवाले, नई दिल्ली।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री भंवर राम माली,
2. श्रीमती संतोष देवी सैनी,
3. श्री राजेन्द्र प्रसाद सैनी,

पता:– डी–188, अग्रसेन नगर, चुरू

एवं फ्लेट नं. ई–906, अष्टम तल, गुरू शिखर, हाऊसिंग प्लॉट नं. सी–2(एफ), ग्राम नानकपुरा उर्फ हेमा की नांगल, सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :– श्री विकास मैसी, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 19.02.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वित्तीय संस्था रेलीगेयर हाऊसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.03.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री भंवर राम माली के स्वामित्व की संपत्ति गुरू शिखर ई, अष्टम तल, प्लॉट नं. सी–2(एफ), खसरा संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ग्राम नानकपुरा उर्फ हेमा की नांगल, सांगानेर, जिला जयपुर पर स्थित फ्लेट संख्या ई–906, क्षेत्रफल बिल्ट अप एरिया 888.80 वर्गफीट को बन्धक रख कर कुल राशि 23,75,000/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 09.12.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। तत्पश्चात् दिनांक 20.09.2021 को रेलीगेयर हाऊसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एडलवाईज असेट रिकन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड को जरिये असाइनमेन्ट एग्रीमेन्ट ऋणी का खाता स्थानान्तरित किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभाति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 23,75,000/– रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 19,98,617.23/– रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 09.12.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री भंवर राम माली के स्वामित्व की बंधक संपत्ति गुरू शिखर ई, अष्टम तल, प्लॉट नं. सी–2(एफ), खसरा संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ग्राम नानकपुरा उर्फ हेमा की नांगल, सांगानेर, जिला जयपुर पर स्थित फ्लेट संख्या ई–906, क्षेत्रफल बिल्ट अप एरिया 888.80 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

6. आदेश आज दिनांक 19.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner